न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/सीलिंग/1416/2003/बाड़मेर

मुरारदान पुत्र गोविन्ददान कौम चारण निवासी गंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर।

...अपीलाण्ट

बनाम

1—राजस्थान सरकार

2— खसाला(मृतक) पुत्र ज्वारा नाई जरिए कायममुकामः—

2/1 मुल्ताना 2/2 टीकू 2/3 रूपा 2/4 बाबू 2/5 नारणा	पुत्रगण खसाला जाति नाई निवासी रोहिली तहसील जिला बाड़मेर ।

3— चुन्नीलाल पुत्र गोपालदास कौम कुम्हार निवासी गंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर।

4— बाबूलाल पुत्र आम्बाराम कौम कुम्हार निवासी नागडदा तहसील शिव, जिला बाड़मेर।

...रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ.

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः—

श्री वीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलाण्ट।

श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, श्री यज्ञदत्तशर्मा, अभिभाषकगण रेस्पाडेंट्स।

निर्णय

दिनांक—19—9—2023

1— यह अपील धारा 23(2—ए) राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम,1973 (संक्षेप में सीलिंग अधिनियम) के अन्तर्गत अतिरिक्त

कलेक्टर (सीलिंग) बाडमेर द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 10/81 में दिनांक 20–2–2003 को पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट मुरारदान के विरूद्ध पुराने सीलिंग नियम 1963 के तहत सीलिंग प्रकरण संख्या 196/70 दिनांक 15–12–1970 दर्ज कर उसके पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होने के कारण सहायक कलेक्टर(सीलिंग) बाडमेर द्वारा दिनांक 15–9–1971 को उक्त प्रकरण निरस्त कर दिया । नये सीलिंग कानून 1973 में आने के बाद खातेदार मुरारदान के पास सीलिंग सीमा से अधिक 68 बीघा 15 बिस्वा भूमि अधिग्रहण के आदेश दिनांक 2–6–1975 पारित किए । उक्त भूमि दिनांक 31–5–79 को आवंटी प्रेमा पुत्र द्वारका को आवंटित कर दी । इसके बाद पुनः सीलिंग प्रकरण खोला जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में 66 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारित मानकर उसमें से 36 स्टेण्डर्ड भूमि अधिग्रहण के आदेश दिनांक 3–12–83 को अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित किए । भूमिधारी द्वारा उक्त आदेश की पालना में सरकार को भूमि समर्पित कर दी । तत्पश्चात् रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 द्वारा एक रिट पीटिशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे उन्होंने दिनांक 3–5–2001 से प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर(सीलिंग) को रिमाण्ड किया । उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 20–2–2003 पारित किए । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20–2–2003 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका यह तर्क है कि रेस्पोडेण्ट द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष यह प्रारंभिक आपत्ति उठायी कि वर्तमान अपील पोषणीय नहीं है। इस संबंध में राजस्थान कृषि जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 23(2)(ए) के तहत सरकार या अन्य पीडित व्यक्ति धारा 15 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपील कर सकता है। इसी कारण अपील को दिनांक 16–4–2003 को दर्ज किया गया है । अतः रेस्पोडेण्ट द्वारा उठायी गई प्रारंभिक आपत्ति चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है । उनका कथन है कि असेसी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, के आदेश

दिनांक 2–6–1975 की पालना में पहले से 68 बीघा 15 बिस्वा सरकार को समर्पित कर दी गई थी । नये सीलिंग कानून के आने पर नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 10–9–1975 द्वारा सरकार के खाते में दर्ज किया। इसके बाद इसी विवादित भूमि प्रेमाराम पुत्र द्वारका को जरिए नामान्तरकरण संख्या 141 दिनांक 22–7–1979 आवंटन कर दी । ऐसी भूमि सरकार द्वारा पुनः अधिग्रहित नहीं की जा सकती। इसलिए अतिरिक्त कलेक्टर का आदेश नियमों व प्रावधान के विपरीत है । उनका यह भी कथन है कि एक अलग से दावा भूरदान एवं अन्य ने मुरारदान के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था जो दिनांक 10–5–2001 से स्वीकार होकर 54 बीघा भूमि मुरारदान के खातेदारी से भूरदान व अन्य के पक्ष में दर्ज की जिसकी अपील मुरारदान द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो दिनांक 27–2–2002 को खारिज हुई जिसकी द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में किए जाने पर माननीय खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 5–3–2020 से पुनः मुरारदान के पक्ष में 54 बीघा भूमि दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए । इसलिए अपीलाण्ट के पास कोई अधिग्रहित भूमि नहीं थी एवं उसके द्वारा सही समर्पण किया गया। लेकिन अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा विधिविरूद्ध उसकी अपील को खारिज कर दी इसलिए अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रस्तुत की गई है। इसलिए रेस्पोडेण्ट का यह कथन कि अपील चलने योग्य नहीं है सही नहीं है । अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4– रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पोडेण्ट द्वारा खातेदार मुरारदान से जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय की गई थी । लेकिन खातेदार मुरारदान द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर क्रयशुदा भूमि 65 बीघा 13 बिस्वा, 65 बीघा 13 बिस्वा, 75 बीघा 13 बिस्वा भूमि तहसीलदार शिव के समक्ष राज्य सरकार के पक्ष में सरेण्डर करने का विकल्प प्रस्तुत किया है जो पूर्णतया अवैध था । अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट की भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में सरेण्डर करने का कोई अधिकार नहीं था। आज भी मुरारदान की खातेदारी की भूमि उपलब्ध है। उसी भूमि में से अधिग्रहण किए जाने का आदेश जिला कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है। ऐसे

विधिसम्मत आदेश में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे।

5— हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार, शिव के प्रतिवदेन के अनुसार खातेदार मुरारदान से अधिग्रहित भूमि की किस्म के अनुसार स्टेण्डर्ड एकड में परिवर्तित कर बारानी—1 की भूमि 4.96 स्टेण्डर्ड एकड़, बारानी—2 की 18.64 स्टेण्डर्ड एकड़ एवं बारानी—3 एवं गैर मुमकिन मगरा की 12.09 स्टेण्डर्ड एकड़ कुल 35.69 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिग्रहण कर राज्य सरकार के कब्जे में ली गई है । इस प्रकार खातेदार से 36 स्टेण्डर्ड एकड भूमि से अधिक भूमि अधिग्रहण किया जाना साबित नहीं होता है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3—5—2001 में भी उक्त भूमि के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए है। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा भी अपने निर्णय में यही उल्लेखित किया है कि अब इस स्तर पर अधिग्रहण से मुक्त किए जाने के बारे में उठाई गई आपत्ति पर कोई निर्णय इस न्यायालय द्वारा नहीं लिया जा सकता है । अतिरिक्त कलेक्टर ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सीलिंग प्रकरण संख्या 10/81 में पारित निर्णय दिनांक 3—12—83 के अनुसरण में खातेदार मुरारदान ने ग्राम चक गूंगा में स्थित खसरा नंबर 125/2/1, 125/3, 37/1 का रकबा क्रमशः 65 बीघा 13 बिस्वा, 65 बीघा 13 बिस्वा एवं 75 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 206 बीघा 19 बिस्वा भूमि का राज्य पक्ष में समर्पित करने का विकल्प पेश किया है वह पूर्णतया अवैध है । उक्त भूमि मुरारदान द्वारा रेस्पोडेण्ट के पक्ष में हस्तांतरित की गई भूमि है । किसी अन्य की खातेदारी भूमि को सीलिंग भूमि के रूप में समर्पित नहीं की जा सकती है । सीलिंग से अधिक भूमि के अधिग्रहण हेतु केवल भाररहित भूमि का ही विकल्प दिया जाना होता है । भारयुक्त भूमि का विकल्प अवैध है जैसा कि आर.आर.डी. 2014 पृष्ठ 663 पर यह मत अभिनिर्धारित किया है कि सीलिंग सीमा से अधिक अविवादित व भाररहित भूमि का ही अधिग्रहण किया जाना चाहिए न कि किसी खातेदार की भूमि का । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर. आर. डी

2014 पृष्ठ 1041 पैरा 13 पर निम्न प्रकार अभिमत व्यक्त किया है–

"13. It is true that under the Scheme of Chapter III B of the Act of 1955, while determining the land in the hands of the assessee in excess of the ceiling limit unrecognized transfers are to be ignored and therefore, the application of principle of natural justice in favour of such transferees stands excluded. But then, as per second proviso to sub-section (2) of section 30E of the Act of 1955, the option to be afforded to the assessee to surrender the surplus land is subject to the timitation that where the person surrendering excess land holds lands of which some are encumbered and some are not encumbered, the unencumbered land shall be surrendered in preference to encumbered lands. Further, when an assessee fails intentionally to make report or to surrender the land in terms of provisions of sub-section (2) of section 30E, he is deemed to be a trespasser liable for ejectment and as per proviso to sub-section (4) of section 30E, while taking proceedings for ejectment, the lands, from which a person shall be so ejected shall as far as may be unencumbered lands. It is true that it is not the law that only unencumbered land be surrendered but the law clearly envisage that the unencumbered land shall be surrendered only to the extent unencumbered land is not available. In the considered opinion of this court, permitting an assessee to surrender the encumbered land and retain the unencumbered land shall be against the spirit of the ceiling law as framed ."

खातेदार मुरारदान ने ग्राम चक गूंगा में स्थित खसरा नंबर 125/2/1, 125/3, 37/1 रकबा 65 बीघा 13 बिस्वा, 65 बीघा 13 बिस्वा, 75 बीघा 13 बिस्वा, कुल 206 बीघा 19 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में सरेण्डर करने का जो विकल्प प्रस्तुत किया है, वह अवैध होने से अप्रार्थी मुरारदान को कोई अधिकार नहीं है एवं मुरारदान द्वारा सरेण्डर की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किए जाने का आदेश देकर भूमि के बदले खातेदारी मुरारदान से उसकी खातेदारी की भूमि में से 206 बीघा 19 बिस्वा जमाबन्दी संवत 2056 से 2059 के

खाता संख्या 312, 213 व 28 में उसके हिस्से की भूमि में अधिग्रहण किए जाने का आदेश दिया गया एवं खातेदार मुरारदान को विकल्प में भूमि देने के निर्देश भी दिए गए है एवं विकल्प नहीं दिए जाने की स्थिति में मुरारदान के हिस्से की भूमि में से 206 बीघा 19 बिस्वा अधिग्रहण कर बहक सरकार अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए गए एवं जो भूमि प्रार्थीगण के खसरा नंबर 125/2/1, 125/3, 37/1 रकबा 65 बीघा 13 बिस्वा, 65 बीघा 13 बिस्वा, 75 बीघा 13 बिस्वा, कुल 206 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण से अधिग्रहण की गई थी को पुनः प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित करने के आदेश दिए गए । अपर कलेक्टर, बाडमेर द्वारा पारित उक्त आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है । अपीलीय न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं परीक्षण कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसे विधिसम्मत आदेश में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः अपील खारिज योग्य है।

7— उक्त विवेचन एवं न्यायिक निर्णयों के आलोक में यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है । अपर कलेक्टर, बाडमेर का निर्णय दिनांक 20—2—2003 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य